



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में नाबालिग लडकी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी कैलाश को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि अभियुक्त कैलाश पुत्र राकेश निवासी ग्राम फुलैरा थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2019 में नाबालिग लडकी का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0- 56/2019 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 16.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त कैलाश को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था ।



श्री नरेंद्र सिंह पंवार
एडीजीसी जनपद बागपत



आरक्षी योगेश कोट
पैरोकार थाना चांदीनगर

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना दोघट

दिनांक 16.02.2024

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध छुरी बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध छुरी बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमरदीप पुत्र महक सिंह निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध छुरी बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-का0 951 पिताम्बर थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 16.02.2024

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 88/24 धारा 307/504 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 88/24 धारा 307/504 भादवि में वांछित युवक पर फायर करने वाले अभियुक्त प्रवेश को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के

आधार पर थाना बड़ौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रवेश पुत्र तिलकराम निवासी पट्टी मोल्हू बावली थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण -

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 226 धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 201 विशाल चौधरी थाना बड़ौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 16.02.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे 01 गाड़ी महिन्द्रा पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 06 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे 01 गाड़ी महिन्द्रा पिकअप नं0 यू0पी017बीटी1726 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 06 पशु बरामद हुए है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 118/2024 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-भूरा पुत्र अब्दुल कय्यूम निवासी पुराना कस्बा लक्ष्मण चौक कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



2-आदिल पुत्र असलम निवासी पुराना करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापर्वक भरे हुये 06 पशु ।
- 01 गाड़ी पिकअप नं0 यू0पी017बीटी1726

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कैलाशचन्द थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-है0का0 242 सचिन चौधरी थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-है0का0 202 नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत


दिनांक 16.02.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान वन्य जीवों को मारने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 04 मृत गीदड़ के शव तथा घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 बजाज सिटी-100 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान वन्य जीव को मारने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से 04 मृत गीदड़ के शव व एक मो0सा0 बजाज सिटी-100 नं0 HR10AL2836 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 117/2024 धारा 2/9/39/48(ए)/49/50/51(1) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 व धारा 428 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अमरनाथ पुत्र सरदारा नाथ निवासी आर०के० कालोनी मुरथल थाना मुरथल जनपद सोनीपत हरियाणा ।
2. तूतीनाथ पुत्र रूलियानाथ निवासी आर०के० कालोनी मुरथल थाना मुरथल जनपद सोनीपत हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण-

- 04 मृत गीदड़ के शव ।
- 01 मो०सा० नं० HR10AL2836

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री कैलाशचन्द थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-है०का० 242 सचिन चौधरी थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-है०का० 202 नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 16.02.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 87/24 धारा 147/148/307/452/504/336/352/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.02.23 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी सद्दाम पुत्र बाबू निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत ने तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.नौशाद, 2.मेहरबान पुत्र मोहम्मद, 3-सुहैल पुत्र नौशाद, 4-आसिफ पुत्र मेहरबान व 03 महिला निवासीगण मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत द्वारा एक राय होकर वादी के घर में घुसकर जान से मारने की नियत से हमला किया गया तथा गाली-गलौच करते हुए पथराव किया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 87/24 धारा 147/ 148/ 307/452/504/336/ 352/506 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 87/24 धारा 147/148/307/452/504/336/352/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आसिफ पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम नई बस्ती मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महेशचन्द शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-का0 421 अंकुल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट


थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 16.02.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम-

विककी उर्फ मनीष पाठक पुत्र ओमपाल निवासी

ग्राम गाधी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कैलाशचन्द थाना कोतवाली बागपत

2-है0का0 202 नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत

3-है0का0 242 सचिन चौधरी थाना कोतवाली बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 16.02.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जोनी पुत्र मल्लू निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

अभियुक्त जोनी पुत्र मल्लू का आपराधिक इतिहास -

- 1.मु0अ0सं0 223/20 धारा 392/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2.मु0अ0सं0 224/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3.मु0अ0सं0 46/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

4. मु०अ०सं० 48/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार थाना सिंघावली अहीर बागपत

2-उ०नि० श्री अरविन्द कुमार थाना सिंघावली अहीर बागपत ।

3- है०का० 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर बागपत ।